कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 4584 /2-6 दिनांक, गोरखपुर, मार्च, 13 /2018

सेवा में,

कार्य अधीक्षक,
अ0वि0नि0ई0 (रा0मा0),
लो0नि0वि0, गोरखपुर।

विषय : गोरखपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत जनपद महराजगंज में टीआई डीसीयू एन0एच0 पी0डब्लू0डी0 गोरखपुर द्वारा सोनौली–गोरखपुर रोड पर किमी0 33.00 से किमी0 36.00 के मध्य प्रस्तावित बाईपास निर्माण के अन्तर्गत फरेन्दा–मोहनापुर वन मार्ग पर बी0यू0पी0 निर्माण में प्रभावित 0.04876 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि का बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ : उ0प्र0 शासन, वन एवं वन्य जीव, अनुभाग–2, लखनऊ का पत्रांक पी–11/14–2–2018–800 (19)/2018 दिनांक 06.03.2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2580/11–सी –एफ.पी./यू.पी./रोड/30003/2016 दिनांक 06.03.2018

महोदय,

गोरखपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत जनपद–महराजगंज में टी.आई. डीसीयू एन0एच0 पी0डब्लू0डी0 गोरखपुर द्वारा सोनौली–गोरखपुर रोड पर किमी0 33.00 से किमी0 36.00 के मध्य प्रस्तावित बाईपास निर्माण के अन्तर्गत फरेन्दा–मोहनापुर वन मार्ग पर बी0यू0पी0 निर्माण में प्रभावित 0.04876 हे0 अवर्गीकृत वनभूमि का बिना वृक्ष पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति विशेष सचिव उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या–पी–11/14–2–2018–800 (19)/2018 दिनांक 06.03.2018 (प्रतिसंलग्न)द्वारा निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी हैं कृपया सभी शर्तो का पालन करते हुए निम्न विवरण के अनुसार अनुपालन रिर्पोट तीन प्रतियों में इस कार्यालय मेंउ पलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

1. प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007/एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 एन0पी0वी0 0.04876X803000= 39155.00 की धनराशि तथा प्रभावित भूमि 0.04876 हे0 के दूने अर्थात 0.098 हे0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो के अनुरक्षण हेतु 30300.00 की धनराशि अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
2. प्रस्ताव विभाग के व्यय पर प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव किया जायेगा।

Received
13/3/18

4. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य ... धनराशि तथा प्रभावित भूमि 0.04876 हे0 के दूने अर्थात 0.098 हे0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारापण एवं ... के अनुरक्षण हेतु 30300.00 की धनराशि तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के ई–पोर्टल के माध्यम से ई–चालान द्वारा कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), नई दिल्ली में जमा कराया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृति कराकर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायेगा।
6. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
7. नोडल अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।
8. प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस–पास के फ्लोरा (वनस्पति)/फोंना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे, अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फाना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
9. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
10. प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।
11. उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये बिना यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
12. भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007 एफ0सी0 (पीटी) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या 1–11013/41/2006–IA-II (I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।
13. उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तो, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिये आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
14. राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होंगी।

15. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
16. यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी /नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
17. समस्त वैधानिक /प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
18. उपरोक्त के अतिरिक्त समय–समय पर केन्द्र सरकार /राज्य सरकार /मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
19. इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश दिनांक 13.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तो का अनुपालन करना होगा।
20. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98–एफ.सी. दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजिटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।
21. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
22. भारत सरकार के परिपत्र संख्या–11–98–एफ.टी. दिनांक 13.02.2014 के शर्त संख्या (XiII) के अनुसार प्रश्नगत परियोजना (सम्पर्क मार्ग) की स्वीकृति इस आधार पर की गयी है कि इस मार्ग के विस्तार /सुदृढ़ीकरण अगले 05 वर्ष के भीतर अनुमन्य नहीं होगा।
23. उपरोक्तानुसार समस्त शर्तो का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किये जाने के प्रश्चात ही विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय

(एन0के0 जानू)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर

संख्या अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक उ0प्र0 कैम्पा
3. मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरपुरं
4. उप प्रभागीय वनाधिकारी आन्नदनगर एवं क्षेत्रीय वनाधिकारी फरेन्दा

(एन0के0 जानू)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर